केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/प्रैक्टिकल-पूरक/2024 दिनांक : 13.06.2024

परिपत्र

विषय : पूरक परीक्षा, 2024 के साथ प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित करने हेतु दिशानिर्देश।

अध्ययन योजना/परीक्षा उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार, छात्रों की निम्नलिखित दो श्रेणियों के संबंध में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जानी अपेक्षित हैं :

(क) वे छात्र जिन्हें किसी विषय में रिपीट इन प्रैक्टिकल (आरपी)/प्रैक्टिकल में पुनरावृत्ति के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।

(ख) वे छात्र जिन्हें किसी विषय/विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों (आरबी) में पुनरावृत्ति के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।

स्कूल और छात्र कृपया इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित पर ध्यान दें :

1. जिन्हें पूरक (Supplementary) परीक्षाओं के दौरान प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होना अपेक्षित है

(क) बारहवीं कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए

किसी छात्र को प्रैक्टिकल में रिपीट (आरपी) के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया हो, तो उसे केवल पूरक परीक्षाओं के दौरान ही प्रैक्टिकल परीक्षा में बैठना होगा तथा उसे थ्योरी परीक्षा में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा उनके पिछले थ्योरी अंकों को आगे बढ़ाया जाएगा तथा हिसाब में लिया जाएगा।

जिन छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों (आरबी) में पुनरावृत्ति के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है, उन्हें पूरक (Supplementary) परीक्षा 2024 के दौरान थ्योरी परीक्षा के साथ-साथ प्रैक्टिकल परीक्षा में भी उपस्थित होना होगा।

(ख) दसवीं कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए

दसवीं कक्षा में, एक छात्र को थ्योरी और आंतरिक आकलन दोनों को मिलाकर 33 अंक प्राप्त करने पर किसी विषय में उत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है। यदि किसी छात्र को कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है और वह आंतरिक आकलन में अनुपस्थित है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पूरक (Supplementary) परीक्षा में दिए गए थ्योरी अंकों के आधार पर आंतरिक आकलन में यथानुपात अंक दिए जाएंगे। पूरक (Supplementary) परीक्षा के दौरान ऐसे छात्रों के लिए कोई आकलन आयोजित नहीं किया जाएगा क्योंकि आंतरिक आकलन वर्षभर चलने वाला कार्य है।

2. **प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियाँ**

प्रैक्टिकल परीक्षाएं **5 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024** तक आयोजित की जाएंगी।

3. **प्रैक्टिकल परीक्षाओं का स्थान**

(क) नियमित अभ्यर्थियों के लिए, प्रैक्टिकल परीक्षाएं उनके स्कूलों में आयोजित की जाएंगी।

(ख) प्राइवेट अभ्यर्थियों के लिए, थ्योरी परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यदि किसी परीक्षा केंद्र/स्कूल में, किसी विषय विशेष में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से ऐसे विषय में प्रैक्टिकल परीक्षा नजदीकी परीक्षा केंद्र/स्कूल में आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया जा सकता है।

4. **बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक की नियुक्ति**

क्षेत्रीय कार्यालय बारहवीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए बाह्य परीक्षक नियुक्त करेंगें। आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति स्कूल/केंद्र अधीक्षक द्वारा अपने स्कूल के शिक्षकों में से की जाएगी।

5. **प्रैक्टिकल के लिए उत्तर पुस्तिकाएं**

क्षेत्रीयों कार्यालयों द्वारा आपूर्ति की गई प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग प्रैक्टिकल परीक्षा के संचालन के लिए किया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परीक्षक प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं में सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक और सही ढंग से पूरी करें।

6. पोर्टल पर प्रैक्टिकल के अंक अपलोड करना

स्कूल/परीक्षा केंद्र जहां पूरक परीक्षा 2024 के दौरान प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वे अभ्यर्थियों को दिए गए अंक उसी दिन पोर्टल पर अपलोड करेंगें। एक बार अपलोड किए गए अंक अंतिम होंगे और उनमें किसी भी बदलाव का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. छात्रों/परीक्षार्थियों द्वारा कार्रवाई

(क) छात्र/परीक्षार्थी 05 जुलाई 2024 से पहले अपने परिणाम/मार्कशीट और प्रवेश पत्र की एक प्रति के साथ अपने स्कूलों/परीक्षा केंद्रों से संपर्क करेंगे।

(ख) छात्रों/परीक्षार्थियों को स्कूल/परीक्षा केंद्र द्वारा दी गई प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख और समय नोट करना होगा और समय पर निर्धारित स्थान पर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए रिपोर्ट करना होगा।

8. स्कूल/परीक्षा केंद्रों द्वारा कार्रवाई

(क) स्कूल के प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक उन सभी छात्रों की विषयवार सूची तैयार करेंगें जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं।

(ख) स्कूल के प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक, जहां भी आवश्यक हो, बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से अग्रिम रूप से संपर्क करेंगें।

(ग) किसी भी परिस्थिति में, विद्यालय के प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक स्वयं बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगें।

(घ) प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि एवं समय का निर्धारण बाह्य परीक्षकों की उपलब्धता, परीक्षार्थियों की सुविधा एवं सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के तिथि पत्र को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(ङ) छात्रों/परीक्षार्थियों को परीक्षाओं के आयोजन की तारीख और समय के बारे में पहले से ही सूचित किया जाएगा।

(च) क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन की योजना के बारे में सूचित किया जाएगा।

9. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई

(क) क्षेत्रीय कार्यालय उन सभी छात्रों की सूची तैयार करेंगें जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं केंद्र-वार और विषय-वार आयोजित की जानी हैं।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय जहां भी आवश्यक हो, अग्रिम रूप से बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करेंगें।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय समय पर प्रैक्टिकल परीक्षाओं को पूरा करना और प्रैक्टिकल के अंकों को पोर्टल पर अपलोड करना और क्षेत्रीय कार्यलय में प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगें।

हस्ता./-
(डा. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित वेब प्रशासन को प्रति